संख्या-162/2025/आई/917961/23-1-25-23-1002(002)/253/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::26 मार्च, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत 01 नये कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-156/2025/आई/917391/23-1-25/003-23-1002(002)/253/2024, दिनांक 25.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर के 08 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य (जनपद गोरखपुर में गोरखपुर देवरिया रा०मा० के किमी०–115 से गहिरा भूमिहारी टोला, लाला टोला, धोबौली होते हुए मोतीराम अड्डा झंगहा मार्ग का 1.50 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य) हेतु तालिका के स्तम्भ-3 में नि0ख0-3, गोरखपुर के स्थान पर नि0ख0-2, गोरखपुर अंकित हो गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-156/2025/आई/917391/23-1-25/003-23-1002(002)/253/2024, दिनांक 25.03.2025 द्वारा स्वीकृत जनपद गोरखपुर के उपर्युक्त कार्य "जनपद गोरखपुर में गोरखपुर देवरिया रा०मा० के किमी०–115 से गहिरा भूमिहारी टोला, लाला टोला, धोबौली होते हुए मोतीराम अड्डा झंगहा मार्ग का 1.50 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य" हेतु उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित खण्ड/जनपद का नाम "नि0ख0-2, गोरखपुर के स्थान पर "नि0ख0-3, गोरखपुर" पढ़ा व समझा जाय। कार्य के अन्य विवरण यथावत् रहेंगे।

4- विषयगत शासनादेश संख्या-156/2025/आई/917391/23-1-25/003-23-1002(002)/253/2024, दिनांक 25.03.2025 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में अंकित अन्य कार्यों की लागत एवं अन्य तथ्य व विवरण तथा शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-162/2025/आई/917961/23-1-25-23-1002(002)/253/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।